

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	734/2025	अनिता	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री सुधीर यादव
2.	736/2025	मनोज कुमार यादव	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री सुधीर यादव
3.	809/2025	सुरेन्द्र सिंह	राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक-1)	श्री गोविन्द शर्मा
4.	981/2025	इमरान खान	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक-1) एवं 18.01.2025 (अनुलग्नक-2)	श्री धर्मेन्द्र शर्मा

आदेश की दिनांक : 13.02.2025

उपस्थिति :-

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)

अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

- मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
- उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलों में आलोच्य आदेशों को समान आधार पर चुनौती दी गयी है। अतः समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या-734/2025 अनिता बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।
- अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पीएचसी भामरवासी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण जिला चिकित्सालय, पोकरण, जैसलमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii)

- के उल्लंघन में जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त फरमाये जावे।
4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन में जारी किया है। हम पाते हैं कि मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.11(6)मं.मं./2023 जयपुर दिनांक 15.03.2024 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायतीराज विभाग की अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आवंटित है एवं स्थानांतरण आदेश में भी सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने का अंकित है।
 5. अतः हम पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम अधिकारी स्तर पर अनुमोदित है। ऐसे में हम अपीलार्थी के आलोच्य आदेश में राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) उल्लंघन होना नहीं पाते हैं। इस संबंध में हमारा मत है कि अपीलार्थी के स्थानांतरण में किसी प्रकार की दुर्भावना रही हो, यह प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।
 6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रार्थना-पत्र पर खारिज की जाती है।
 7. उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य समस्त अपीलों में उक्त आदेश प्रभावी होगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थीगण अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थीगण के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।
 8. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 734 / 2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में संलग्न की जायें।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)